न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(बईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 01 / 2023 प्रार्थना पत्र / 251ए / जी.सी.एम.एस. / 2023 / 13 दिनांक 27.02.2024

अनवान

1. भंवरलाल पिता मोतीलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
2. ब्रदीलाल पिता प्रेमचन्द धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
3. बंशीलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
4. रामेष्वरलाल पिता प्रेमचन्द धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
5. प्रभूलाल पिता स्व0 नारायणलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
6. कैलाषकुमार पिता स्व0नारायणलाल धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
7. श्रीमति पुष्पाबाई पत्निस्व0 नारायणलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तह. बडीसादडी

—प्रार्थीगण

।।बनाम।।

1. श्री सुरेष पिता गोर्धन सुथार निवासी पारसोलीतहसील बड़ीसादड़ी
2. श्री जसराज पिता गोर्धन सुथार निवासी पारसोलीतहसील बड़ीसादड़ी
3. श्रीमति गोपीबाई पिता गोर्धन ,पत्नी शान्तिलाल सुथार नि. उत्तरवाड़ा तह. बड़ीसादड़ी
4. श्रीमति कला पिता रूपा पत्नी जयकिशन सुथार निवासी पराणा तहसील डूंगला
5. श्रीमति मांगी पिता रूपा पत्नी धनराज सुथार निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
6. श्रीमति रूकमण पिता रूपा पत्नी भेरूलाल सुथार निवासी भाटोली गुजरान् तह.डूंगला
7. श्रीमति सरजू पिता रूपा पत्नी रतनलाल सुथार निवासी करजू तह. छोटीसादड़ी
8. श्रीमति सोसर पिता रूपा पत्नी रामलाल सुथार निवासी पण्डेड़ा तहसील बड़ीसादडी
9. श्रीमति हुलासी पिता रूपा पत्नी रामचन्द्र सुथार निवासी देवदा तह. बड़ीसादड़ी
10. भूमिधारी तहसीलदार तहसील बड़ीसादड़ी (राज0)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

उपस्थित— श्री अनिल सोनावा वकील प्रार्थीगण

श्री ऋषि लव मुणेत वकील अप्रार्थीगण

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोड़ी गई नवीन धारा 251—ए के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात् वाके राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार सर्कल जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी में आराजी खाता संख्या 126 की आराजी खसरा संख्या 1 क्षैत्रफल 0.5900 है0 लगानी 6 रूपया 49 पैसा भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी दर्ज रिकार्ड की स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उपयोग—उपभोग की है। जिस पर प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण उक्त आराजी भूमि के खातेदार है।अप्रार्थीगण की आराजी राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार सर्कल जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है अप्रार्थीगण की आराजी खसरा 2 रकबा 0.7800 है0 लगान 8 रूपया 58 पैसा भूमि अवस्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के [illegible] पास है तथा दोनों के खेतों की सीमायें एक दूसरे से लगी हुई है। प्रार्थीगण [illegible] के पूर्व की दिशा में स्थित मुख्य रोड़ ग्राम जयसिंहपुरा से [illegible] राठोड़ा की खेड़ा [illegible] रास्ते के पश्चिम की दिशा में अप्रार्थीगण की आराजी नं. 2 के दक्षिण दिशा [illegible] होते हुए [illegible] अपनी खातेदारी पर आते [illegible] जाते है [illegible] करीब 12 फीट चौड़ा है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.03.01 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1 पर आते–जाते है। इस रास्ते का उपयोग – उपभोग प्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से अर्सा कदीम से करते चले आ रहे है। एवं हल, बैलगाड़ी, टेक्टर, एवं अन्य कृषि औजार इसी रास्तें से होकर ले जाते लाते आ रहे है। इस रास्तें के अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर आने–जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्तें से प्रार्थीगण वर्षो से आते–जाते रहे है। उक्त रास्तें को अप्रार्थी नं. 1 व 2 आये दिन टेक्टर से हकाई कर देते है प्रार्थीगण को रास्तें से आने–जाने नही देते है लड़ाई –झगड़ा करते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी समझाइस होने पर उक्त रास्तें को खोल देते है ओर उक्त रास्तें को पूनः बन्द कर देते है प्रार्थीगण के साथ लड़ाई –झगड़ा करने पर उतारू होते है। इसलिये आये दिन के रास्तें सम्बधी विवाद से बचने के लिये प्रार्थीगण उक्त रास्तें को रिकाडेर्ड रास्ता दर्ज कराना चाहते है इसलिये उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्तें में दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने हेतु यही एक मात्र रास्ता है। इसके सिवाय प्रार्थीगण के खेत में आने –जाने का और कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी पर अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 2 में से होकर आते–जाते है उक्त रास्ता मौके पर कायम है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नही होने से अप्रार्थी कमांक 1 व 2 कभी–कभी उक्त रास्तें में अवरोध पैदा करते है इसलिये न्याय हित में अप्रार्थीगण की आराजी नं. 2 के दक्षिण की दिषा की पाली जो की आराजी नं. 3 के समीप स्थित है उस पर रास्ता जो की पश्चिम की दिशा में प्रार्थीगण की आराजी पर आता–जाता है उक्त रास्तें को रिकाडेर्ड रास्ता दर्ज करवाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में 12 फीट चौड़ाई का रास्ता विहित प्रावधानों के तहत अंकित करवाया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। अप्रार्थी कमांक 1 व 2 ने बिना किसी वैधानिक प्राधिकार के उक्त रास्तें की भूमि को टेक्टर से हकाई दी है तथा रास्ते को बन्द कर दिया प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आने – जाने से मना कर दिया। अप्रार्थी कमांक 1 व 2 ने उक्त रास्तें पर हकाई कर दी तथा प्रार्थीगण को रास्तें से वंचित करने के उद्वेष्य से गैर कानूनी तरीके से फसल बुवाई कर सकते है इसलिये प्रार्थीगण उक्त रास्तें की भूमि को रिकोर्डेड कराना चाहते है ताकी रास्तें के सम्बंध प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई लड़ाई –झगड़ा नही हो सके। उक्त खातेदारी की भूमि पर आने–जाने के रास्तें की भूमि को रिकाडेर्ड 12 फीट चौड़ाई का रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि से दिलाया जावे तथा प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार उक्त रास्तें की राशि नियमानुसार जमा करवाने हेतु तत्पर है। प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने का रास्ता है जो अप्रार्थीगण कभी भी बन्द कर सकते है जिससे प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा। अभी फसल बुवाई का समय है अप्रार्थीगण ने रास्ता बन्द कर दिया तो प्रार्थीगण बुवाई नही कर पायेगे ओर फसल से वंचित हो जायेगे। इसलिये अन्तिम विकल्प में उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। खातेदार श्रीमति गंगा बाई पत्नि गोर्धन जी सुथार की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस अप्रार्थी कमांक 1,2,3 है जो बतौर अप्रार्थी नियुक्त है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी पर आने –जाने का रास्ता जो अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 2 के दक्षिण की दिशा मे स्थित पाली पर 12 फीट चौड़ाई का रास्ता जो पश्चिम दिशा में प्रार्थीगण की आराजी नं. 1 पर पहुंच मार्ग है जो कई वर्षो से है उसे राजस्व रिकार्ड में रिकोर्डेड दर्ज कर राजस्व अभिलेख में बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार बड़ीसादड़ी के नाम पर प्रदान करावे ताकी प्रार्थीगण को नियमानुसार रास्ता उपलब्ध हो सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.03.01 16:23:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दिनांक 0[illegible].202[illegible] को बाद जांच रजिस्टर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को [illegible] किया गया।बरोज पेशी दिनांक 14.09.2023 को अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील [illegible] हुये। बरोज पेशी दिनांक 04.01.2024 को अप्रार्थी कमांक 1 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने हेतु मौका

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलेक्टर (राजस्व) बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार बड़ीसादड़ी को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर रिपोर्ट तलब की गई। पैराकार सरकार व कमीश्नर तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा न्यायालय हाजा में मौका कमीश्नरी रिपोर्ट जो कि भू0अ0नि0 पारसोली व पटवारी हल्का जयसिंहपुरा द्वारा 10.04.2023 को मुर्तिब की गई जो उचित कार्यवाही हेतु अपने पत्र क्रमांकः–राजस्व/2023/191 दिनांक 19.06.2023 को अग्रेषित की गई। जिसमें वर्णित किया गया कि ग्राम जयसिंहपुरा की आराजी नम्बर 1 रकबा 0.59 हैक्टर बद्रीलाल, रामेश्वरलाल पिता प्रेमचन्द 1/3 भंवरलाल, बंशीलाल पिता मोतीलाल 1/2 प्रभुलाल कैलाश कुमार पिता नारायण लाल पुष्पाबाई पत्नि नारायण लाल 1/6 धाकड़ के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिसकी पश्चिम सीमा अमीरामा व उत्तरी सीमा ग्राम राठौड़ा का खेड़ा से लगती हुई मौके पर उक्त आराजी में आने–जाने का रास्ता नही है राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। वर्तमान में उक्त आराजी के खातेदार कृषि कार्य हेतु आराजी नम्बर 2 मे से होकर आते–जाते है। ग्राम जयसिंहपुरा की आराजी नम्बर 02 रकबा 0.78हैक्टर सुरेष जसराज पिता गोर्धन गोपीबाई पत्नि गोर्धन 3/28 कला मांगी रूकमण सरजु सोसर हुलासी पिता रूपा 6/7 गंगाबाई पत्नि गोर्धन 1/28 सुथार निवासी पारसोली के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 2 की दक्षिण पाली पर पूर्व से ही पश्चिम दिशा में 5 मीटर चौड़ाई व 87 मीटर लम्बाई में रास्ता चाहा गया है। जिसका कुल क्षैत्रफल 435 वर्गमीटर है आराजी नम्बर 1 में आने जाने हेतु चाहे गए रास्ते के अलावा और कोई निकटतम दूरी का रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्ज कर ट्रेस संलग्न है। ग्राम जयसिंहपुरा की ड़ी. एल.सी. दर सिंचित आबादी के पास 174299 व सिंचित आबादी से दूर 153124 रूपये प्रतिबीघा है। भू0अ0नि0 पारसोली की रिपोर्ट दिनांक 10.04.2023 में दर्ज किया गया कि मौका पर्चा एवं रिपोर्ट वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में बनाई गई तथा मौके पर्चे पर प्रतिवादी नं. 1 व 2 मौके पर उपस्थित हुए लेकिन हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया जाने एक पक्षीय कार्यवाही होने से पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पेशी दिनांक 08.02.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषिलव मुणेत ने मूल पत्रावली में अण्डर टेंकिग दी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण के निवेदन पर पावर व जवाब पेश हेतु अवसर न्यायहित में दिया गया। पत्रावली दिनांक 12.02.2024 को पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने पावर पेश करने से इंकार करते हुये मेरिट पर decide करने हेतु निवेदन किया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। लायक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात् पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिकोर्डेड मार्ग नही है तथा अप्रार्थीगण की आराजी नं. 2 मे से बाप दादाओं के समय से आ जा रहे है इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प मार्ग नही है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात् पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे। रास्ते उपयोग हेतु राशि प्राप्त अदा करने को तैयार है।प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जिनको धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीश्नरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1 रकबा [illegible] हैक्टर पर [illegible] रिकोर्डेड मार्ग उपलब्ध नही होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात् पर [illegible] अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2 रकबा 0.78 हैक्टर मे से [illegible] के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण आ[illegible] वास्तविक [illegible] रास्ता चाहते है तथा भू0अ0नि0 पारसोली द्वारा रिपोर्ट एवं [illegible] की मौजुदगी में बनाया गया जिस पर स्पष्ट अंकन [illegible] पर उपस्थित हुए लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.03.01 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है जिससे प्रमाणित होता है कमिश्नरी रिपोर्ट प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की मौजुदगी में बनाई गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी होना प्रकट नही होता है। प्रस्तुत कमीश्नरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पहुंच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक पं.2 (63) राज.9/2014 जयपुर दिनांक 20–09–2014 एवं परिपत्र क्रमांक प. 3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात्/खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्तें में आने वाली भूमि का राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पड़ती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है। खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड़ (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिष की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये है चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1 रकबा 0.59 हैक्टर पर पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2 रकबा 0.78 हैक्टर मे से पश्चिम में 5 मीटर चौड़ाई व 87 मीटर लम्बाई जिसका कुल क्षैत्रफल 435 वर्गमीटर पड़ती है। उत्तरदाता की ओर से भी प्रकरण का खण्ड़न नही किए जाने से प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम जयसिंहपुरा पटवार सर्कल जयसिंहपुरा की आराजी खसरा संख्या 1 रकबा 0.59 हैक्टर भूमि पर पहुंच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पड़ौस की अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2 रकबा 0.78हैक्टर मे से 5 मीटर चौड़ाई बराबर 87 मीटर लम्बाई कुल 435 वर्गमीटर पड़ती है। भूमि का रास्ता निम्न प्रकार कमीषनरी रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। जिसे रास्ते हेतु अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे।
2. रास्ता हेतु रास्ते अवाप्त की जाने वाली 435 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 174299/–रूपये प्रति बीघा से मूल्याकंन तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर बनने वाली भूमि की कीमत की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल किया जा सकेगा।
3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नही होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थी को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नही होगे।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़ीसादड़ी को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे। निर्णय खुले न्यायालय दिनांक 27.02.2024 को लिखाया कराया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.03.01 16:23:23 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दुबाला राजावत)आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी